UPJS010030792026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थित- कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J. O. Code No. UP1881

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 978/ 2026

(CNR No. UPJS01- 003079- 2026)

शुभम उपाध्याय उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व० नरेन्द्र मोहन उपाध्याय, निवासी- मकान नं०- 55, तिलयानी बजरिया, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी। ------- **आवेदक/ अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---------- **अभियोजक**

मु०अ०सं०- 215/ 2026
धारा- 109(1) , 112(2) भारतीय न्याय संहिता,
व धारा- 3/ 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम
थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी।

दिनाँक- 15. 06. 2026

1- प्रश्नगत **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र, आवेदक/ अभियुक्त **शुभम उपाध्याय** की ओर से मु०अ०सं०- 215/ 2026 अन्तर्गत धारा- 109(1) , 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 3/ 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2- जमानत आवेदन के साथ शपथकर्ता पंकज रावत पुत्र श्री मोहन रावत का शपथ पत्र 4B दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार वह अभियुक्त का साला व मामले में पैरोकार है। धारा संशोधन उपरान्त अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायलाय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त अथवा लम्बित है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/ प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव द्वारा थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी में इस आशय की फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी प्रस्तुत की गई है कि- *"आज दिनाँक- 28. 04. 2026 को वह मय हमराह पुलिसबल के साथ थाने से रपट सं०- 88 समय 23. 37 बजे क्षेत्र देखभाल व शान्ति व्यवस्था , चेकिंग संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति आदि में रवाना होकर मेडिकल बाईपास पर मामूर होकर अपराध आदि के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तभी मुखबिर ने उपस्थित होकर सूचना दी कि तीन व्यक्ति- विजय बाधवा, नितिन अग्रवाल व शुभम उपाध्याय IPL मैच में सट्टा खेलते व खिलवाते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के नाम एकाउण्ट का संचालन अपने मोबाईल नम्बर डाल कर बड़े स्तर पर सट्टे के पैसों का लेनदेन करते हैं। तीनों व्यक्ति आज ग्राम मुस्तरा से सखी के हनुमान मन्दिर के पास स्थित नवर्निमित JDA कालोनी के रास्ते होते हुए अपनी फार्च्यूनर कार से कहीं जाने की फिराक में हैं। मुखबिर की उक्त सूचना पर विश्वास कर मौके से आने- जाने वाले लोगों को गवाह के रूप में लेने का प्रयास किया गया, किन्तु भलाई- बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। मजबूरन आपस में जामा- तलाशी लेकर मुखबिर के साथ उसके बताये स्थान नवर्निमित JDA कालोनी से मुस्तरा जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर गये। जैसे ही कृष्णा रेजीडेन्सी को जाने वाले मोड़ के आगे बनी छोटी पहाडिया के पास ढलान पर पहुंचे और सकरे रास्ते पर सरकारी गाड़ी इस प्रकार खड़ी की गई कि सामने से आने वाली गाड़ी भाग न सके, तो कुछ देर बाद ही एक सफेद रंग की गाड़ी तेज रफ्तार से आती दिखाई दी, जिसे टार्च व सरकारी जीप के लाईट की रोशनी में मुखबिर ने देख कर बताया कि यह वहीं गाड़ी है और वह चला गया। पुलिसबल सतर्क हो गया और उक्त गाड़ी को हाथ से रूकने का इशारा किया, तो गाड़ी में बैठे लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो गाड़ी चढा कर जान से मार देगें और गाड़ी में सवार लोग भागने के आशय से पुलिसबल सरकारी बुलेरो गाड़ी में सामने से पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से अपनी फार्च्यूनर गाडी को तेज रफ्तार से ला कर टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सरकारी गाडी के चालक व पीछे बैठे उपनिरीक्षक निखिल कुमार को चोटें आई और पुलिसबल ने घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए फार्च्यूनर गाडी में बैठे तीन व्यक्तियों को नीचे उतार कर पकड़ लिया और घायल पुलिसकर्मियों को फास्ट- एड कर गमछा बांधा गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम- पता पूंछते हुए तलाशी लिये जाने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम **शुभम उपाध्याय** पुत्र स्व० नरेन्द्र उपाध्याय बताया, जिसके तलाशी में जीन्स पैंट के दाहिने जेब से (500x59) कुल- 29, 500/ - रूपये व एक अदद मोबाईल आईफोन 13 जिसकी IMEI देखना संभव नहीं हो सका व मोबाईल नं०- 9369006813 बताया। पैंट*

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.06.15 13:11:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के बांये जेब से एक अन्य सैमसंग ग्लैक्सी जेड फोल्ड 06 मोबाईल, जिसका IMEI 1. 355954420288317 IMEI 2. 356633720288313 जिसमें जीओ की सिम नं०- 9770837081 पडी है। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विजय बाधवा पुत्र वासुदेव बाधवा बताया, तलाशी में उसके जीन्स पैंट के दाहिने जेब से (500x61) कुल- 30,500/ - रूपये व एक मोबाईल सैगसंग ग्लैक्सी एस 24 जिसका IMEI 1. 354267933745744 IMEI 2. 35456336745745 जिसमें जीओ की सिम नं०- 8467948167 पडी है तथा बांयी जेब से दो अदद मोबाईल 1- Vivo Y22 (IMEI No. 1. 862807067370010, 2. 862807067370002 व जीओ सिम नं०- 7307352351) तथा 2- Vivo V27 (IMEI No. 1. 86306706 2884874, 2. 863067062 884866 जिनमें आईडिया की सिम नं०- 9889464099 व जीओ सिम नं०- 7905937629 पडी है, बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम नितिन अग्रवाल पुत्र कैलाश चन्द्र अग्रवाल बताया, तलाशी में पहने कैफरी के दाहिने जेब से (500x49) कुल- 24,500/ - रूपये व एक मोबाईल सैमसंग जेड फोल्ड 05 जिसका IMEI 1. 355142630102235 IMEI 2. 356566280102237 जिसमें जीओ की सिम नं०- 8299136923 पडी है एवं बांयी जेब से दो अदद मोबाईल फोन- 1- ग्लैक्सी सैमसंग एस 23 (IMEI No. 1. 3527725204 54727, 2. 352814740454721 व जीओ की सिम नं०- 9335041536) व 2- सैमसंग ए 17 (IMEI No. 1. 350037992771913, 2. 352804682771919 व एअरटेल की सिम नं०- 8400496979 पडा है, बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्तियों से बरामद मोबाईलों को चेक किये जाने पर जुए और सट्टे से संबंधित बहुत सी चीजें उसमें मौजूद मिली। भागने का कारण पूंछने पर उन्होंने बताया कि वह लोग मिलकर अलग- अलग साईटों जैसे- lex99. in यूजर ID- VIAJY40NEW3(C446210), bbmw99. com जिसका admin. bbmw99. com और यूजर नेम- SBA14 व पासवर्ड. A12345 के माध्यम से ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खिलाने का काम काफी दिनों से करते है और पकडे जाने के डर से भाग रहे थे। अभियुक्त शुभम उपाध्याय ने पूंछने पर बताया कि वह स्वयं पहले ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलता था, लेकिन इसमे ज्यादा कमाई होने के कारण वह स्वयं अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खिलाने लगा, जिससे उसने करोड़ो रूपये कमाये, जिसे उसने (फर्द में उल्लिखित विवरण के अनुसार) अलग- अलग जमीन, मकान, गाड़ी आदि में लगा दिये है तथा फर्द में उल्लिखित विवरण के अनुसार कई बैंक खातों का विवरण भी अभियुक्त ने बताया। पकडे गये अभियुक्त विजय बाधवा ने भी बताया कि वह पहले खुद ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलता था और ज्यादा कमाई होने के कारण वह अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खिलाने लगा। इस जुआ/ सट्टा की कमाई से उसने (फर्द में उल्लिखित विवरण के अनुसार) मकान, दुकान व प्लाट आदि क्रय किये हैं। पकड़े गये अभियुक्त नितिन अग्रवाल ने बताया कि वह स्वयं पहले ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलता था, लेकिन इसमें ज्यादा कमाई होने के कारण वह अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खिलाने लगा। इस जुआ/ सट्टा की कमाई से उसने (फर्द में उल्लिखित विवरण के अनुसार) गाडी, विभिन्न स्थानों पर मकान- प्लाट आदि क्रय किये हैं। फार्च्यूनर गाडी सं०- UP93BX- 2777 की तलाशी पर पीछे वाली सीट पर एक टैब सैमसंग ग्लैक्सी ए 07, जिसका IMEI No. 354338765221839 है, उसमें कोई सिम नहीं पड़ी है, को विजय बाधवा ने अपना होना बताया तथा एक काले रंग के बैग, जिसमें Arctic Fox लिखा है, के अन्दर से 6 रजिस्टर व 2 कापी तथा 01 डायरी बरामद हुई। लाल रंग के रजिस्टर में ऊपर अंग्रेजी में शिवम महालक्ष्मी लिखा है, जिसे खोलने पर पहले पेज पर कई जगह शुभम लिखा है और उसमें कुल- 159 पेज है। पेज सं०- 105 तक ऑफलाइन सट्टे के विवरण (फर्द के अनुरूप) अंकित है। इसी प्रकार दूसरे रजिस्टर के मुख्य पेज पर अंग्रेजी में Youva लिखा है, इसमें कुल- 66 पेज है, जिसमें ऑफलाइन सट्टा का विवरण (फर्द के अनुरूप) अंकित है। तीसरे रजिस्टर के मुख्य पेज पर एक्सरसाइज बुक स्कूलमेट लिखा है और इसमें कुल- 97 पेज है, जिसके प्रथम पेज पर कई जगह शुभम लिखा है व प्रथम पेज से पेज सं०- 27 तक पढाई- लिखाई का विवरण व पेज- 28 से 88 तक ऑफलाइन सट्टे के विवरण (फर्द के अनुरूप) अंकित है। चौथे रजिस्टर के मुख्य पेज पर अंग्रेजी में इंटीमेट व एडवेंचर स्पोर्टस अंकित है, इसमें कुल- 91 पेज है, पहले पेज पर शुभम उपाध्याय अंकित है तथा पेज- 2 से 27 तक पढाई- लिखाई का विवरण व पेज- 30 से 46 तक (फर्द के अनुरूप) नाम आदि अंकित है। पांचवे रजिस्टर के कवर पेज पर अग्रेजी में इंटीमेट व एडवेंचर स्पोर्टस व शुभ उपाध्याय तथा हिन्दी में शुभम अंकित है, इसमें कुल- 88 पेज है, पेज- 2 से 86 तक ऑफलाइन

सट्टे का हिसाब- किताब (फर्द के अनुरूप) नाम सहित अंकित है। छठें रजिस्टर के कवर पेज पर अंग्रेजी में द माउण्टेन राईड अंकित है, इसमें कुल- 158 पेज है, पेज- 01 से 89 तक जय महाकाल लिखकर अलग- अलग ऑफलाइन सट्टे का विवरण अंकित है। एक कापी, जिसके कवर पर अग्रेजी में नोट बुक व शुभम लिखा है, में कुल- 32 पेज है, जिसमें आफ लाइन सट्टे से संबंधित विवरण (फर्द के अनुरूप) पेज वाइज अंकित है। एक नीले रंग की डायरी के कवर पेज पर एचडीएफसी बैंक 2026 अंकित है, जिसमें कुल- 155 पेज है, पेज सं०- 5 से 12 तक आफलाइन सट्टे का विवरण अंकित है। एक कापी के कवर पर रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर छपी है, इसमें कुल- 87 पेज है, पेज सं०- 07 से 83 तक (फर्द के अनुरूप) लोगों के नाम अंकित करते हुए आफलाइन सट्टे का विवरण अंकित है। उक्त तीनों अभियुक्तों के कब्जे से मिली फर्च्यूनर गाडी से बरामद 06 रजिस्टर, 02 कापी व 01 डायरी में कुल मिला कर करीब 100 करोड रूपये से अधिक के आफलाइन सट्टे के हिसाब- किताब का विवरण हाथ से लिखा हुआ है व कई लोगों के नाम भी लिखे हैं, जिसके संबंध में तीनों से सामूहिक रूप से पूंछने पर शुभम उपाध्याय व नितिन अग्रवाल ने बताया कि उन दोनों द्वारा सट्टे में लगी समस्त रकम का हिसाब- किताब रखा जाता है और हार- जीत होने पर पैसा संबंधित के पास हवाला व अन्य माध्यम से भिजवाया जाता है तथा विजय बाधवा ने बताया कि वह ब्रोकर का काम करता है, सट्टे में लगी हर रकम पर उसे 02 प्रतिशत कमीशन मिलता है और सट्टा खेलने वाले ग्राहकों का पैसा हार- जीत होने पर उन तक पहुंचे, यह उसकी जिम्मेदारी होती है, लोग उसके भरोसे पर सट्टे का दांव लगाते है। रजिस्टर में लिखे नामें के संबंध में तीनों ने सामूहिक रूप से बताया कि इनमें से कुछ उनके ग्राहक हैं और कुछ उनके ऑनलाइन/ ऑफलाइन सट्टे के कारोबार के पार्टनर है, जिनका विस्तृत विवरण अभियुक्तगण ने (फर्द में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप) बताया है। इस प्रकार पकड़े गये अभियुक्तों व उनके अन्य साथियों द्वारा संगठित गैंग/ सिंडीकेट के रूप में आर्थिक लाभ पाने के लिए नियम विरूद्ध ऑनलाइन/ ऑफलाइन सट्टे का संचालन कर अवैध तरीके से बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ कमाया जाता है। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से ऑनलाइन/ ऑफलाइन सट्टा खिलाने संबंधी लाईसेंस तलब किये जाने पर वह नहीं दिखा सके। अभियुक्तगण को अपराध से अवगत कराते हुए उन्हें दि०- 29. 04. 2026 को समय करीब 05. 40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया व गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये तथा तलाशी में बरामद रूपये, मोबाईल, टैब, रजिस्टर, कापी व डायरी आदि को अभियुक्तवार पृथक- पृथक प्लास्टिक के डिब्बे में रख कर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार की गई। बरामद फर्च्यूनर गाडी को ई- साक्ष्य ऐप पर देखने पर उक्त गाडी अभियुक्त नितिन अग्रवाल के नाम दर्ज पाई गई। उक्त गाडी पुलिसबल को जान से मारने के प्रयास में प्रयुक्त होने के कारण उसे कब्जा पुलिस लिया गया और गिरफ्तारी व बरामदगी की फर्द प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर गाडी व प्रकृति की रोशनी में बोल- बोल कर उपनिरीक्षक नवीन कुमार के निजी लैपटाप पर तैयार कराई गई व पेनड्राईव के माध्यम से उसकी प्रिन्ट प्रति मंगवा कर पढ कर सुना कर हमराह कर्मचारियों व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये गये तथा सभी अभियुक्तगण की सहमति से एक प्रति अभियुक्त शुभम उपाध्याय को दी गई।" उक्त फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवेदक/ अभियुक्त शुभम उपाध्याय सहित दस अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध प्रश्नगत मामला धारा- 109(1), 111(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा- 3/ 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है, जिसमें दौरान विवेचना धारा- 111(2) भारतीय न्याय संहिता को धारा- 112(2) भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित किया गया है।

4- अभियुक्त की ओर से जमानत के संबंध में मुख्यतः यह अधार लिया गया है कि- अभियुक्त बेगुनाह व बेकसूर है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे गलत व झूंठा अभियुक्त बनाया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 04 घण्टे विलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसमें विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अभियुक्त इन्दौर में अपनी फर्म शुभ श्याम कन्स्ट्रक्शन से प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता है। दिनांक- 26. 04. 2026 को इन्दौर स्थित उसके फ्लैट नं०- 202 राज प्लाजा मिलन ग्रीन नियर ट्रीजर टाउन बीजलपुर इन्दौर पर नितिन अग्रवाल व विजय वाधवा व्यापार के सिलसिले में उससे मिलने आये थे। समय करीब 16. 13 बजे सादे कपड़ों में प्रभारी निरीक्षक चिरगांव राहुल राठौर मय पुलिस बल आये और सभी लोगों को सफेद सफारी गाड़ी व फॉर्चूनर नं०- UP93 BX2777 से लेकर इन्दौर से चले, जिस पर उसके मित्र नरेश डोडेजा व युवराज डोडेजा ने पूंछा कि जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, तो पुलिस बल ने कहा कि झाँसी ले जा रहे हैं। पुलिस ने झाँसी लाने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा, तो पार्टनर सितेश डोडेजा ने दिनांक- 27. 04. 2026 को उक्त के सम्बन्ध में थाना राजेन्द्र नगर, इन्दौर में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस बल फॉर्चूनर कार से सभी लोगों को इन्दौर से लेकर झाँसी रात्रि 01 बजे बजरंग

पुलिस चौकी आयी और बाद में क्राईम ब्रांच थाने में रखा तथा दिनांक- 29. 04. 2026 को सुबह 05. 40 बजे फर्जी घटना बनाकर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त को इन्दौर से पकड़ कर लाने वाले दरोगा व सिपाहियों के मोबाइल की लोकेशन निकलवाकर व सहअभियुक्त नितिन अग्रवाल की फॉर्चूनर गाड़ी सं०- UP93 BX2777, जिससे पुलिस अभियुक्त को दिनांक- 26. 04. 2026 को इन्दौर से झाँसी लाई थी, इन्दौर से झाँसी के बीच पड़ने वाले टोल बैरियर के कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाकर पुष्टि की जा सकती है। फार्चूनर गाड़ी सं०- UP93BX2777 जिससे पुलिस बल की गाड़ी को टक्कर मारना बताया गया है, उससे अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। अभियुक्त किसी मामले में सजायाब नहीं है। पूर्व में अभियुक्त व सहअभियुक्त नितिन अग्रवाल द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 783/ 2026 प्रस्तुत किया था, जिसे मामले धारा- 111(2) BNS का लोप होने व धारा- 112(2) BNS की बढ़ोत्तरी होने के कारण दिनांक- 26. 05. 2026 को नॉट प्रेस कर लेने के कारण यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनाँक- 29. 04. 2026 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5- राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया कि- अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु एक संगठित गिरोह के रूप में ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खिलवाने का कारोबार किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस बल द्वारा उन्हें रोके जाने पर पुलिसबल को जान से मारने की नीयत से उनकी गाडी पर अपनी फार्च्यूनर गाडी से टक्कर मारने तथा अभियुक्त को सहअभियुक्तगण के साथ गिरफ्तार किये जाने पर उनके कब्जे से नकद रूपयों के अतिरिक्त बरामद मोबाईल फोन, टैब, रजिस्टर, कापी व डायरी आदि से बडे स्तर पर आर्थिक लाभ हेतु ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलने/ खिलाने का तथ्य प्रकाश में आया है। अभियुक्त द्वारा संगठित रूप कारित उक्त अपराध, आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर जमानत शर्तो का उल्लंघन करने, पुनः आपराधिक कृत्य में शामिल होने व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, जो ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं, के साथ छेडछाड कर नष्ट करने की संभावना व्यक्त करते हुये जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई। समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था- State of Gujrat Vs. Mohanlal Jitamaljiporwal & Anr., 1987 AIR 1321 एवं Nimmagadda Prasad Vs. C. B. I., Hyderabad , 2013 AIR SCW 3795 प्रस्तुत की गई हैं।

6- आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा उपलब्ध केस डायरी सहित संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7- अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभारी निरीक्षक, नवाबाद/ वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना- नवाबाद में आवेदक/ अभियुक्त व 10 अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 109(1) , 111(2) BNS व धारा- 3/ 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें आवेदक/ अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फॉर्च्यूनर गाड़ी से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर उपहति पहुंचाने व मौके पर गिरफ्तार किये जाने पर उनके कब्जे से नकद रूपयों के अतिरिक्त बरामद मोबाईल फोन, टैब, रजिस्टर, कापी व डायरी आदि से बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ हेतु ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलने/ खिलाने का तथ्य का प्रकाश में आने का अभियोग है।

8- केस डायरी पर्चा सं०- 9 दिनाँकित- 16. 05. 2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर संगठित रूप से ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलने/ खिलाने का अपराध पाये जाने पर धारा- 111(2) भारतीय न्याय संहिता को धारा- 112(2) भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित किया गया है।

9- मामले में विवेचक द्वारा घटना स्थल से टूटे कांच व हेड लाईट के टूटे प्लास्टिक के टुकडे व टूटे मडगार्ड के टुकडों को कब्जे में लेकर फर्द तैयार की गई है, जो पुलिस की सरकारी बुलेरो गाडी सं०- UP70AG-

3318 से संबंधित होना बताये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्ध इंजरी रिपोर्ट के अनुसार कान्स० अखिलेश पटेल को खरोंचयुक्त चोट दाहिनी भुजा में तथा उपनिरीक्षक निखिल कुमार को दाहिनी भुजा में दर्द की शिकायत होना बताया गया है।

10- प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/ अभियुक्त मामले में नामजद है तथा मौके से आवेदक/ अभियुक्त को दो अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गिरफ्तार किया गया है। फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त शुभम उपाध्याय की जामातलाशी में उसके पहने हुये जीन्स पैंट के दाहिने जेब से (500x59) कुल- 29,500/ - रूपये व एक अदद मोबाईल आईफोन 13 (जिसका IMEI अस्पष्ट व मोबाईल सिम नं०- 9369006813 है) व पैंट के बांयी जेब से एक अन्य सैमसंग ग्लैक्सी जेड फोल्ड 06 मोबाईल फोन (जिसक IMEI 1. 355954420288317 IMEI 2. 356633720288 313 व जीओ की सिम नं०- 9770837081 है) बरामद हुआ है। उक्त बरामद मोबाईल फोन को चेक किये जाने पर उसमें जुए/ सट्टे से संबंधित बहुत सी चीजे मौजूद मिली, जिसके संबंध में अभियुक्तगण ने बताया कि वह लोग मिलकर अलग- अलग साईटों जैसे- lex99. in यूजर ID- VIAJY40 NEW3(C446210), bbmw99. com जिसका admin. bbmw99. com और यूजर नेम- SBA14 व पासवर्ड A12345 के माध्यम से ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खेलने/ खिलाने का काम काफी दिनों से करते हैं।

11- आवेदक/ अभियुक्त द्वारा ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा के कारोबार से अर्जित आय का तथ्य दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अर्जित आय/ सम्पत्ति के संबंध में आवेदक/ अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उक्त निवेशित धनराशि उसके द्वारा किस प्रकार से व कैसे अर्जित की गई है।

12- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था- **Nimmagadda Prasad Vs. C. B. I., Hyderabad, 2013 AIR SCW 3795** के पैरा- 28 में यह अवधारित किया गया है कि-

> *" Economic offences constitute a class apart and need to be visited with a different approach in the matter of bail. The economic offence having deep rooted conspiracies and involving huge loss of public funds needs to be viewed seriously and considered as grave offences affecting the economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country. "*

13- प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना आवेदक/ अभियुक्त शुभम उपाध्याय व सहअभियुक्त विजय बाधवा व अन्य के मध्य मोबाईल नम्बरों पर की गई व्हाट्सअप चैट आदि की स्क्रीन शाट्स को भी संकलित किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्तगण का आपस में बड़े पैमाने पर जुआ/ सट्टा संबंधी लेन- देन व वार्ता किया जाना स्पष्ट होता है। अभियोजन की ओर से आवेदक/ अभियुक्त पर ऑनलाइन/ ऑफलाइन जुआ/ सट्टा खिलाने हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराने व लोगों को सौ करोड से अधिक का जुआ/ सट्टा खिलाने के गम्भीर अभियोग लगाये गये हैं। प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्त के कब्जे से इलैक्ट्रानिक्स साक्ष्य के रूप में मोबाईल फोन आदि भी बरामद किये गये हैं। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है, यदि आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा इलैक्ट्रानिक्स साक्ष्य, जो ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं, से छेडछाड कर नष्ट किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य, समाज के लोगों, विशेषकर युवा पीढी को जुआ/ सट्टा के अनैतिक कृत्य में संलिप्त करने से संबंधित है, जो आधुनिक इलैक्ट्रानिक तकनीकि का उपयोग करते हुए संगठित होकर कारित आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। मामले में आवेदक/ अभियुक्त व अन्य की संलिप्तता के संबंध में अभी अन्य साक्ष्य का संकलन शेष है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध इस प्रकृति का नहीं है, जो उसे इस स्तर जमानत का आधार प्रदान करती हो।

14- अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की सन्दर्भित उक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रश्नगत मामले के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को

जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्त **शुभम उपाध्याय** की ओर से मु०अ०सं०- 215/ 2026 अन्तर्गत धारा- 109(1), 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 3/ 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 978/ 2026 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति आवेदक/ अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनाँक- 15. 06. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।